माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के पास,
बिसनखेड़ी, भोपाल-462044 (म.प्र.), फोन : 0755-2552574

कैंटीन संचालन एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल बिसनखेड़ी परिसर में कैंटीन संचालन तथा समय-समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खान-पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु एक वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mcu.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 5,900/- (रुपये (पाँच हजार नौ सौ) मात्र 18% जी.एस.टी. सहित तथा सुरक्षा निधि राशि रु 50,000/- (रुपये पचास हजार) मात्र हैं। निविदाएं निर्धारित समय सीमा में भण्डार शाखा में जमा करने पर मान्य होंगी। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 12.11.2026 अपरान्ह 3.00 बजे** एवं खोलने की तिथि **12.11.2026 अपरान्ह 3.30 बजे** निर्धारित है।

म.प्र. माध्यम/128764/2026

Scanned with TapScanner

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 (म.प्र.)
फोन नंबर 0755–2552574

कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था हेतु निविदा

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के बिसनखेड़ी परिसर में **कैंटीन संचालन तथा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु एक वर्ष के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है।** जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 5900/–(रुपये पॉच हजार नो सौ मात्र) 18% जी.एस.टी. सहित तथा सुरक्षा निधि राशि रु 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) हैं। निविदाएं निर्धारित समय सीमा में भण्डार शाखा में जमा करने पर मान्य होंगी।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर दी जाएगी । निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रकाशन की तिथि	24.10.2026	प्रातः
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	12.11.2026	अपरान्ह 3.00 बजे
3.	निविदा खोलने की तिथि	12.11.2026	सायं. 3.30 बजे

निविदा संबंधी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

कुलसचिव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
एवं संचार विश्वविद्यालय,
म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के पास,
बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 (म.प्र.)

भाग–1

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल–462044 (म.प्र.)
फोन नंबर 0755–2552574

विश्वविद्यालय में कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2026–27

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 निविदा फार्म को विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है या विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा से क्रय किया जा सकता है ।

1.2 यह निविदा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, द्वारा **कैंटीन संचालन** एवं **समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खान–पान व्यवस्था (केटरिंग)** हेतु **एक वर्ष के लिए** निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। जिसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

1.3 कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा को ऑफ लाईन पद्वति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in पर दी जावेगी।

1.4 निविदाकर्ता द्वारा भाग–4 (अ, ब) में दर्शित खाद्य सामग्री की मूल्य सूची पर सिर्फ छूट (प्रतिशत में) प्रदर्शित की जावे। यह सभी खाद्य सामग्री पर समान रुप से लागू होगी। निविदाकर्ता द्वारा भाग–4 (स) में दर्शित खाद्य सामग्री की मूल्य सूची पर दरो का उल्लेख किया जाऐगा। यह भी नोट किया जाय कि बिल/इनवाइस/देयक जो कार्य उपरांत भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा उसमें सिर्फ डिस्काउंट काट कर जो दर होगी वह भुगतान हेतु दर्शित रहेगी।

1.5 निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर दी जाएगी । निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रकाशन की तिथि	24.10.2026	प्रातः
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	12.11.2026	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	निविदा खोलने की तिथि	12.11.2026	सायं. 3.30 बजे

1.6 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस को खोली जाएगी।

1.7 **प्रक्रिया–1 :** (क) निविदा प्रपत्र का मूल्य **रु. 5900/–(रुपये पॉच हजार नो सौ मात्र)** 18% जी.एस. टी. सहित है तथा सुरक्षा निधि राशि रु. **50,000/–(रुपये पचास हजार)** मात्र है। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट (जो कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना है । उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य, सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने तथा निविदा के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।

1.8 **प्रक्रिया–2 :** उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रखा जावे।

1.9 **प्रक्रिया–3 :** तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज लिफाफे में रखे जावें।

2.0 **प्रक्रिया–4 :** समिति द्वारा H1 कंपनी निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाऐगी :–

1. खाद्य सामग्री की दरों की सूची संलग्न है।
2. संलग्न सूची में दी गई दरों में आवेदक द्वारा छुट का प्रतिशत प्रस्तावित किया जाएगा।
3. H1 कंपनी के निर्धारण के लिए अधिकतम छुट देने वाली संस्था का H1 में चयन किया जाएगा।

प्रथम लिफाफे में रखें

तकनीकी निविदा

भाग–2

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में मान्यता प्राप्त संस्था में कैंटीन संचालन एवं समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) का कार्य किया हो इससे संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप संलग्न करें।

2.2 संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में **न्यूनतम 10 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।** फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।

2.3 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु. 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। (निविदा फार्म में दिए गये प्रारुप अनुसार)

2.4 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न नहीं माना जायेगा।

2.5 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर चाहिए निविदा के साथ संलग्न करें :–

(क) संस्था का वैद्य पंजीयन (अद्यतन) की छाया प्रति संलग्न करें

(ख) जी.एस.टी. नं.

(ग) पैन कार्ड नं.

2.6 इनकम टैक्स के पिछले तीन एसेसमेन्ट वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26) का इनकम टैक्स प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

2.7 फर्म के लिए खाद्य एवं औषधी विभाग का FSSAI लाईसेन्स {खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन (License under Food Safety and Standrads Act-2006)} की प्रति संलग्न करें।

2.8 निविदाकर्ता का कार्य अथवा रेस्टोरेन्ट/भोजनालय/कैंटीन भोपाल की नगर निगम सीमा के अन्दर होना आवश्यक है ।

2.9 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रु. 5900/–(रुपये पॉच हजार नो सौ मात्र) 18% जी.एस.टी. सहित है जो वापसी योग्य नहीं है।

2.10 यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in पर दी जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।

निम्नानुसार दस्तावेज को फर्म की सील एवं हस्ताक्षर के साथ संलग्न करें।

स.क्रं.	विवरण
1	निविदा का मूल्य राशि रु. 5900/– 18% जी.एस.टी. सहित है। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में देय होगी।
2.	सुरक्षा निधि राशि रु. 50,000/– निर्धारित है। इसे बैंक ड्राफ्ट के रुप संलग्न करना होगा।
3.	संस्था द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26) में मान्यता प्राप्त संस्थान में कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) का कार्य किया गया हो तो संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरुप संलग्न करें।
4.	संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में न्यूनतम 10 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इस वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।
5.	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु. 100/– के नॉन जुडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। (निविदा फार्म में दिए गये प्रारुप अनुसार)
6.	जी.एस.टी.नम्बर की छाया प्रति संलग्न करें।
7.	आयकर (PAN) नम्बर की छाया प्रति संलग्न करें।
8.	फर्म के वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
9.	इनकम टैक्स के पिछले तीन एसेसमेन्ट वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26) का इनकम टैक्स प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10.	खाद्य एवं औषधी विभाग का FSSAI लाईसेन्स {खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन (License under Food Safety and Standrads Act-2006)} की प्रति संलग्न करें।
11.	निविदाकर्ता का रेस्टोरेन्ट/भोजनालय/कैंटीन भोपाल की नगर निगम सीमा के अन्दर होना आवश्यक है ।
12.	प्रपत्र ए–1 (निविदा प्रपत्र)

भाग–3

निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जब्त करते हुए कैंटीन संचालन से विमुक्त किया जा सकेगा।

3.2 पात्र पायी गयी संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा। जिसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

3.3. विश्वविद्यालय द्वारा फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है । कैंटीन संचालन के लिए तीन–तीन माह का कार्य आदेश जारी किया जायेगा एवं कार्य संतोषजनक होने पर ही कार्य आदेश आगे बढ़ाया जायेगा।

3.4 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 (तीन) माह की पूर्व सूचना देना होगी।

3.5 खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का कार्य आदेश विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलगुरू, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

3.6 खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित कारीगर एवं वेटरों की श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. एक्ट कान्ट्रेक्ट, लेबर एक्ट के प्रावधानों (इनमें से जो भी लागू हो) के अनुपालन एवं उल्लंघन की समस्त जिम्मेदारी केटरिंग फर्म की होगी। खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

3.7 फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदाय किये जाने वाले भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें, ताजी सब्जियां, तेल, ब्रांडेड एगमार्ग मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्ट्स दही, दूध, पनीर, मावा आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।

3.8 यदि केटरिंग फर्म द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री को व्यक्तियों द्वारा खाने के पश्चात् फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व केटरिंग फर्म का होगा।

3.9 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.10 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चाय नाश्ता, बफे, ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर आदि में भोजन परोसने हेतु हॉट केस, क्राकरी, कॉच के गिलास, टी सेट, कटलरी, पेपर नेपकिन, आई.एस.आई.मार्क पैक्ड वाटर, डिस्पोजल प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच तथा आवश्यक संख्या में वर्दीधारी वेटरों की व्यवस्था फर्म द्वारा की जाएगी ।

3.11 केटरिंग फर्म द्वारा निर्धारित समय पर खाद्य सामग्री ताजी एवं गर्म परोसी जायेगी।

3.12 पैक्ड लंच/डिनर के लिए लेमीनेटेड एल्यूमिनियम फाइल युक्त कार्ड डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। चावल, सब्जी, दाल, रायता एवं स्वीट डिश पैक करने के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल ढक्कन सहित कटोरी का उपयोग किया जाएगा। सलाद एवं अचार प्लास्टिक के जिप युक्त थैली में पैक की जाएगी। रोटी/पराठा अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम फाइल में रोल करके पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जायेगी। प्रत्येक डिब्बे को रबर बैंड से बन्द करना होगा साथ ही रबर के साथ दो पेपर नैपकिन लगे रहना चाहिए। प्रत्येक पैकेट को बन्द करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य सामग्री का रिसाव न हो । पैक्ड आयटम उपरोक्त मानक अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान से यथोचित कटौती की जाएगी।

3.13 पैक्ड ब्रेकफास्ट के लिए एल्यूमिनियम फाइल युक्त कार्डबोर्ड के डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। ढोकला/वेज सैंडविच को प्लास्टिक के पाउच में पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जाएगी। डिब्बे में सामग्री रखने के बाद प्रत्येक डिब्बे के ऊपर पेपर नैपकिन रखकर रबर बैंड से बन्द किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित पैकिंग मटेरियल उत्तम होना आवश्यक है ।

3.14 पैक्ड ब्रेफास्ट लंच/डिनर के लिए विवरण अनुसार पैकिंग व्यय को जोड़कर वित्तीय निविदा में दर अंकित की जावे।

3.15 कैंटीन/केटरिंग व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान समय–समय पर अनिवार्य रुप से करने का उत्तर दायित्व चयनित फर्म का होगा। फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।

3.16 खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त प्रदाय नहीं करने पर देयक में से 2% से 10% की कटौती की जावेगी।

3.17 खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सन्तोषजनक होने पर ही स्वीकार की जवेगी। आदेशित सामग्री की गुणवत्ता उचित न होने पर निविदादाता को उनके व्यय पर वापस की जाएगी तथा देयक से वापस की गई सामग्री की राशि की कटौती की जाएगी।

3.18 कैंटीन संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

3.19 खाद्य सामग्री प्रदाय की FOR दरें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल होगी।

3.20 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करें ।

3.21 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि लौटा दी जावेगी।

3.22 निविदा पूर्ण या आंशिक रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

3.23 कार्य आदेश की मात्रा को देखते हुए फर्म के अनुरोध पर विश्वविद्यालय परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तन, ईंधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा। बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। भोजन बनाने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था स्वयं सफल निविदाकर्ता द्वारा की जावेगी।

3.24 निविदाकर्ता द्वारा फूड सेफ्टी नार्मस् का पालना करना होगा।

3.25 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलगुरू माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

3.26 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विश्वविद्यालय स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.27 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.28 कैंटीन में विश्वविद्यालय से बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

3.29 कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों/धूम्रपान (पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3.30 कैंटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैंटीन संचालक उत्तरदायी होगा।

3.31 निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रूपये 1000/– (एक हजार मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

3.32 कैंटीन में प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध शाकाहारी रहेगी।

3.33 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है।

3.34 यह निविदा अहस्तांतरणीय है।

3.35 चयनित संस्था अपने कर्मियों की निष्ठा एवं चरित्र का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी। प्रत्येक कर्मी (कुक/वेटर) के पास पहचान–पत्र (I –Card) होना अनिवार्य होगा तथा वे अपनी वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगाएंगे।

3.36 निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.37 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा कैटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कैटीन संचालक से निम्नानुसार क्षति पूर्ति की राशि वसूल की जाएगी :–

स. क्र.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रति दिन प्रति व्यक्ति
1.	वेटर/कुक निर्धारित यूनिफार्म में न होने पर	रु. 100/–
2.	कैटीन संचालक द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों को न मानने पर	रु. 5900/– निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी ।

3.38. कैटीन में कार्यरत कर्मियों के इन्श्योरेन्स की जिम्मेदारी कैटीन संचालक की होगी । कैटीन कर्मियों के साथ हुई किसी प्रकार की दुघर्टना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

3.39. कैंटीन द्वारा प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री/सेवा के देयकों को भुगतान हेतु आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छः माह से अधिक अवधि के देयक भुगतान करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

3.40 कैंटीन संचालक को विश्वविद्यालय द्वारा जो जगह कैंटीन के लिए आवंटित की जायेगी। कैंटीन संचालन की अवधि में साफ–सफाई रखने एवं टूट–फूट ठीक करवाने की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी। संचालन की अवधि में विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

3.41 प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे हाथ धोने वाले नल, वाटर कूलर इत्यादि खराब होने पर 7 दिन के भीतर उसे ठीक करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिदिन प्रति सामग्री के अनुसार रूपये 300/– क्षतिपूर्ति राशि कैंटीन संचालक से वसूल की जाएगी।

3.42 कैंटीन संचालक को कैंटीन का किराया रू. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र)+ 18% GST प्रति माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। बिजली का सब मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग अनुसार विद्युत व्यय समय–समय पर परिवर्तित दरो अनुसार पृथक से विश्वविद्यालय में प्रति माह जमा करना होगा। कैंटीन संचालक को पानी का शुल्क रूपये 2,500/– प्रति माह भी देना होगा।

3.43 कैंटीन में प्रदाय खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सामग्री तैयार करने में उपयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुण्वत्ता सुनिश्चित करने एवं साफ–सफाई की स्थिति के संतोषप्रद होने का सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा तथा सफल निविदाकार उक्त बातों के लिए समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

3.44 निगरानी समिति समिति तथा निविदाकार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में गुण–दोषों के आधार पर कुलपति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

3.45 निगरानी समिति को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री को चखकर (खाकर) सुनिश्चित करे, जिसके लिए उपयोग सामग्री का कोई मूल्य पृथक से देय नहीं रहेगा।

3.46 विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित कार्यक्रमों कें खाद्य/पेय सामग्री प्रदाय हेतु सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश प्रदाय किया जाएगा। जिसके प्रमाणीकरण के बाद ही देयकों का भुगतान देय होगा।

3.47 विश्वविद्यालय ग्राम बिशनखेड़ी स्थित अपने नवीन भवन में संचालित है। यह परिसर ग्राम बिसनखेड़ी में स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया के खेल परिसर के पास स्थित है।

3.48 ब्रांडेड सीलबंद एवं अन्य खाद्य सामग्री की दर मुद्रित मूल्य, बाजार मूल्य से ज्यादा नही होनी चाहिए। ब्रांडेड सीलबंद खाद्य सामग्री की दर मुद्रित मूल्य से ज्यादा नही होना चाहिए।

3.49 प्रस्तावित निविदत्त दरों के लिए सामग्री/आइटम की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी स्वीकार्य नही होगी।

3.50 नियत/निर्धारित समय एवं अवधि में किसी सामग्री को किसी भी कारण से उपलब्ध कराने हेतु मना नही किया जा सकेगा।

3.51 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.11.2026 अपरान्ह 3.00 बजे है।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे मान्य है। मैं कथन करता हूं कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है एवं इसकी सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का नाम :

पता :

:

हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र ए–1
निविदा प्रपत्र

प्रति,

कुलसचिव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
भोपाल

विषय : कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा वर्ष 2026–27 बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार हे ।

स.क्रं.	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष/मो. नं.	

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग ''1'' ''2'' एवं ''3'' में दर्शित शर्तो के अनुसार कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा एक वर्ष के लिए कार्य करने की सहमति प्रदान करते हैं। यदि आगे तीन वर्षो तक बढ़ाया जाता है, तो भी कार्य करने की सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र

रु.100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

मै.....द्वारा प्रोप्राईटर मेसर्स.....

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ किः–

(1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैक स्टिेड नहीं किया गया है ।

(2) यह कि फर्म की कैंटीन एवं खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) सम्बन्धी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

(3) यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में दर्शायी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल को होगा।

शपथ ग्रहिता

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रं. 1 से बिन्दु क्र. 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथ ग्रहिता

भाग–4

खाद्य सामग्री का विवरण एवं दर सूची

S.N	PARTICULAR	RATE IN RS. Including GST
1.	Coffee 100 ml	15
2.	Coffee 100 ml + 4 (Sadi Mithi or Namkeen Biscuit)	18
3.	Tea 100 ml	12
4.	Tea 100 ml + 4 (Sadi Mithi or Namkeen Biscuit)	15
5.	SAMOSA 100 gm, KACHORI 100gm, ALOO BADA 100gm	15
6.	Bread Pakoda 100 gm, Bhaji Bada 100 gm	15
7.	Bhajiya 100 gm, Mangode 100 gm	20
8.	Poha 100 gm	12
9.	Dhokla 100 gm	15
10.	Veg Sandwich 100 gm	25
11.	Sabudana Khichdi 150 gm	30
12.	Alu paratha 100 gm (1 no.)	20
13.	Puri 5 nos, aloo Sabji/Choole Sabji (150 gm)	35
14.	Sweet Dish (2 nos.)	30
15.	Veg Biryani (Full) 250 gm	50
16.	Noodles (150 gm)	45
17.	Meggi (150 gm)	30
18.	Idli 2 no (75 gm) each, Sambhar 150 gm and chatni 20 gm	30
19.	Uttapam (150 gm) and chatni 20 gm	30
20.	Upama (150 gm)	20
21.	Pav (2 nos), Bhaji (150 gm)	35
22.	Chole Tikki (250 gm)	30
23.	Bhel Puri, अंकुरित (Sproute) Bhel Puri	25
24.	Mathri (50 gm), Shakkar Para (50 gm), Namak Para (50 gm)	20
25.	Butter Milk (100 ML)	20
26.	Lassi (200 ML)	30
27.	Hi-Tea (Tea 100 ml + Biscuit + Dry samosha + cookies + Packed water 200 ml)	40
28.	**Thali :-** Roti (4 nos) or paratha (2 nos) or pudi (4 nos) , Rice (100 gm), Panir/Choole sabji, Seasonal Vegetable , Dal, Raita, Achar, Salad, Papad, Sweet dish	100

नोट : ब्रांडेड सीलबंद खाद्य सामग्री की दर मुद्रित मूल्य से एवं अन्य खाद्य सामग्री की दर बाजार मूल्य से अधिक नही होनी चाहिए।

ADDITIONAL FOOD PACKED (per packet)

S.N	PARTICULAR (ON Event/Demand)	RATE IN RS. Including GST
1.	boodi Laddu 75 gm each (sudha ghee) 2 No. KACHORI/SAMOSA 100 gm each- 1 No. Mathri/Chipes/Dhokla - 75 gm each- 2 No. with silver Foil box	60

समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में खान–पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु खाद्य सामग्री का विवरण एवं दर सूची

Lunch, Dinner Buffet Rate

S.N	PARTICULAR	RATE IN RS. Including GST
1.	• Sadi Roti/paratha/pudi/Naan/Tandoori **(any three)** • Rice/Pulao/Biryani **(any one)** • Vegitable Paeer/Kaju sabji etc. **(any one)** • Vegitable Chole/ Rajma/ Malai Kofta sabji etc. **(any one)** • Seasonal Vegetable/ Mix Vegetable etc. **(any one)** • Dal/Dal Makahni/Dal Fry etc. **(any one)** • Dahi Wada/Raita/Fruit Raita etc. **(any one)** • Sweet (2 nos) **(any one)** • Vegetable Soop **(any one)** • Packed water 250 ml • Achar, Salad, Papad	350

Lunch, Dinner (Packed Rate)

S.N	PARTICULAR	RATE IN RS. Including GST
1.	• Sadi Roti/paratha/pudi/Naan/Tandoori **(any one)** • Rice/Pulao/Biryani **(any one)** • Vegitable Paeer/Kaju/ Chole/ Rajma sabji etc. **(any one)** • Seasonal Vegetable/ Mix Vegetable etc. **(any one)** • Dal/Dal Makahni/Dal Fry etc. **(any one)** • Sweet (1 nos) **(any one)** • Achar, Salad, Papad and Packed water 250 ml	290

निविदाकर्ता का नाम :

पता :

हस्ताक्षर एवं मुहर :

नोट : ब्रांडेड सीलबंद खाद्य सामग्री की दर मुद्रित मूल्य से एवं अन्य खाद्य सामग्री की दर बाजार मूल्य से अधिक नही होनी चाहिए।